

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1286 -चार/08

जिला -रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.14		
समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व० श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र० को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व० श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र० को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व० श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र० को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	
	अतः म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	
	(अशोक शिवहरे) सदस्य	

R. S. S. S.
15/5/14

प्रमाणित किया जाता है कि 19-1-14 को जारी की गई प्रमाणित
पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में 19-1-14 को
जारी की गई प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में

प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में --- प्रमाणित

प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में
प्रमाणित पत्रिकाओं में 2008-09 के प्रमाणित पत्रिकाओं में --- प्रमाणित